न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर.के. जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :– 07/2019 (RCMS No. :-2019/00008)

उनवानी प्रकरण :–

1. मानसिहं पुत्र रामसिहं जाति मीणा निवासी नयागॉव तहसील सरमथुरा
2. ओमप्रकाश पुत्र मानसिहं जाति मीणा निवासी नयागॉव तहसील सरमथुरा
3. ओमवीर पुत्र मानसिहं जाति मीणा निवासी नयागॉव तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर ———————————————अपीलान्टस्।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर ——————————————— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.3.2018 न्यायालय सहायक वन संरक्षक धौलपुर प्र.सं. 1/17 उनवानी राज0 सरकार बनाम मानसिहं वगैरा अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्टस् की ओर से :– श्री शरीफ खान अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक 29.1.2020

निर्णय

अपीलान्टस् द्वारा यह अपील सहायक वन संरक्षक धौलपुर के निर्णय दिनांक 15.3.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्टस् को वन भूमि खसरा नम्बर 299 व 300 में 5 बीघा पर दीवार बनाकर अनाधिकृत काश्त करना एवं पक्के मकान बनाकर रहने को अतिक्रमण मानते हुए दिनांक 15.3.2018 को 250/–रूपये शास्त्री अधिरोपित करते हुए वन भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस् को बेदखल करने के सम्बन्ध में कोई नोटिस जारी नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय से ना तो अपीलान्टस् को कोई नोटिस प्राप्त हुआ और ना ही अपीलान्टस् को उपरोक्त कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी दी गई। अपीलान्टस् अनूसूचित जन जाति के वन निवासी क्षेत्र के लोग हैं तथा अपीलान्टस् के पूर्वज पिछले सैंकडों साल से जबसे विवादित भूमि को वन भूमि घोषित नहीं किया गया था उस समय से परम्परागत वन निवासी आदिवासी जाति होने

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

के कारण जल जंगल, व जमीन पर आदिवासी समुदाय का बुनयादी अधिकार होने के कारण निवास करते आ रहे है। जंगल आदिवासी समुदाय के जीवन का यह अभिन्न हिस्सा रहा है तथा वे सदियो से जंगल में बसर करते हुए ना सिर्फ जंगलों का उपयोग करते थे बल्कि उनका संरक्षण व संवर्धन भी अपीलान्टस् के जीवन का आधार रहा है और इसी प्रकार पीढी दर पीढी अपने वन अधिकारों का अपीलान्टस् समुदायिक रूप से व वैयक्तिक रूप से इस्तेमाल करते आ रहे है। अपीलान्टस् आदिवासी समुदाय की अनुसूचित जन जाति के लोग हैं तथा वन भूमि में उनके सदियों पुराने देवी देवता जिनमें सिद्ध बावा का मन्दिर, भूमिया बाबा की आराधना, कारस देव व महाकालेश्वर मन्दिर की सदियों से स्थापना है व पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। अपीलान्टस् विवादित भूमि को अपने निवास और खेती के लिए तथा अपने पशुओं के पालने व देवी देवताओं के स्थान के रूप में तथा अपनी आदिवासी परम्पराओं व संस्कृति को बनाये रखने के लिए विवादित वन भूमि का प्रयोग करते आ रहे हैं जिसमें अपीलान्टस् को अन्य भूमि के साथ साथ विवादित भूमि में समुदायिक व व्यक्तिगत रूप से अधिकार प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा अपीलान्टस् आदिवासी समुदाय का वन भूमि में प्रारम्भिक हक को कानूनी रूप देने के लिए सन् 2006 में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्मपरागत वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम पारित किया गया जिसे 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया इस अधिनियम में वनों में काबिज आदिवासी एवं अन्य परम्परागत समुदायों को उनकी उस जमीन पर खेती व निवास इत्यादि के अधिकार को मान्यता दी गई। वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों को हासिल करने के लिए अपीलान्टस् अधिनियम के मुताविक पृथक से कार्यवाही कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट द्वारा जो कार्यवाही 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत की गयी व बिना किसी कानूनी प्रावधानों की पालना किये प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन कार्यवाही संस्थित किये जाने से पूर्व आदिवासी अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को कानून द्वारा दी गई सुरक्षा को ना तो मददेनजर रखा और ना ही वन अधिकारों की मान्यता अधिनियमय 2006 की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी न्यायिक प्रकिया स्थापित करते समय व अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया कि अपीलार्थीगण एक परम्परागत आदिवासी तथा जंगलो में रहने वाले अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति हैं तथा सम्पूर्ण ग्राम वासी ग्राम नया गॉव वन भूमि से अपनी पशुओं को पालता है कृषि योग्य भूमि पर कृषि करता है तथा वनों का संरक्षण व संवर्धन करता हैं तथा अपीलान्टस् व उनके ग्राम वासियों के आवास चिकित्सा शिक्षा संस्कृति पूजा पद्धति और खाद्य सुरक्षा जंगलों से ही जुडी रही है। इस प्रकार अपीलान्टस् उनके समुदाय के लोग सैकडों वर्ष से नया गॉव में निवास करते आ रहे हैं और इसी प्रकार कथित वन भूमि पर वन निवासी होने के कारण वन अधिकार प्राप्त हो

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज०)

चुके है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत तथा आदिवासी जन जाति के अधिकारों का हनन होने के कारण विधि विरूद्ध है। जानकारी दिनांक से अपील अपीलान्टस् अन्दर म्याद पेश है।

अतः अपील अपीलान्टस् अनुसूचित जन जाति व आदिवासी होने के कारण वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत वन अधिकार होने के कारण अपीलान्टस् कृषि करने तथा धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यो को सम्पादित किये जाते रहने हेतु परम्परागत रूप से सदियों से प्राप्त सामुदायिक व व्यक्तिगत अधिकारों के मददेनजर अधनीस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावे तथा विकल्प में अपीलान्टस यह भी निवेदन करते हैं कि उनके वन भूमि के अधिकारों को मान्यता दिलायी जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी ।

रेस्पोडेण्ट ने अपील में अकिंत बिन्दुओं के जबाव हेतु समय चाहा । रेस्पोडेण्ट को जबाव प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये किन्तु रेस्पोडेण्ट ने जबाव पेश नहीं किया। दिनांक 5..8.2019 को रेस्पोडेण्ट के जबाव की कार्यवाही बन्द की गई।

रेस्पोडेण्ट के अभिभाषक ने दिनांक 19.8.2019 को उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया नकल वकील अपीलान्टस् को दी गई। अपीलान्टस् ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का जबाव प्रस्तुत किया ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषकगणों की वहस सुनने के पश्चात् रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया ।

अपीलान्टस् ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.3.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं नोटिस दिनांक 22.1.2019 की प्रतिलिपि पेश की।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। अपीनलान्टस् के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टस् को वन भूमि खसरा नम्बर 299 व 300 रकवा 10 बीघा पर अतिकमी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत व कानूनन गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस् को सुनवाई हेतु कोई विधिवत नोटिस जारी नहीं किया है। अपीलान्टस् की बैक पर निर्णय

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज०)

पारित किया गया है। अपीलान्टस् अनूसूचित जन जाति के वन निवासी क्षेत्र के लोग हैं । विवादित भूमि पर अपीलान्टस् के पूर्वज पिछले सैंकडों साल से निवास करते आ रहे है। जंगल आदिवासी समुदाय के जीवन का यह अभिन्न हिस्सा रहा है। अपीलान्टस् विवादित भूमि को अपने निवास और खेती के लिए तथा अपने पशुओं के पालने तथा अपनी आदिवासी परम्पराओं व संस्कृति को बनाये रखने के लिए विवादित वन भूमि का प्रयोग करते आ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा अपीलान्टस् आदिवासी समुदाय का वन भूमि में प्रारम्भिक हक को कानूनी रूप देने के लिए सन् 2006 में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्मपरागत वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम पारित किया गया जिसे 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया इस अधिनियम में वनों में काबिज आदिवासी एवं अन्य परम्परागत समुदायों को उनकी उस जमीन पर खेती व निवास इत्यादि के अधिकार को मान्यता दी गई। वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों को हासिल करने के लिए अपीलान्टस् अधिनियम के मुताविक पृथक से कार्यवाही कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन कार्यवाही संस्थित किये जाने से पूर्व आदिवासी अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को कानून द्वारा दी गई सुरक्षा को ना तो मद्देनजर रखा और ना ही वन अधिकारों की मान्यता अधिनियमय 2006 की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत तथा आदिवासी जन जाति के अधिकारों का हनन होने के कारण विधि विरूद्ध है। जानकारी दिनांक से अपील अपीलान्टस् अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टस् ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 299 व 300 रकवा 10 बीघा पर रिहायशी मकान बनाकर एवं फसल बोकर अतिक्रमण कर रखा है जो अतिक्रमी की परिभाषा में आता है। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि विवादित आराजी पर अपीलान्टस् व उसके पूर्वज सैकडों वर्षो से उपयोग कर रहे है इस तथ्य की पुष्टि अपीलान्टस् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों से होती है जिसमें उन्होनें कथन किया है कि वन विभाग की कोई जमीन नहीं जोती (अतिक्रमण नहीं किया) है। अगर उनके पास भूलवश वन विभाग की वन भूमि पर कब्जा या अतिक्रमण है तो उसको वह छोडने को तैयार है यदि दिनांक 2.11.2017 के पश्चात् कोई अतिक्रमण करते है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो दण्ड या सजा की जावेगी उसको सहन करने को तैयार है। अपीलान्टस् के द्वारा अतिक्रमित भूमि पर मालिकाना हक सम्बन्धी कोई वैध दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये । इस न्यायालय द्वारा भी अपीलान्टस् को मालिकाना हक सम्बधी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पर्याप्त समय दिये गया किन्तु अपीलान्टस् ने अपने बचाव में कोई कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों को हासिल करने के लिए अपीलान्टस् अधिनियम के मुताविक पृथक से कार्यवाही कर रहे हैं किन्तु उक्त तथ्य की पुष्टि में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता। अपील अपीलान्टस् म्याद बाहर पेश है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है। निर्णय पर्ण रूपेण सही है। पारित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलान्टस् ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 299 व 300 रकवा 5 बीघा पर अवैध कब्जा कर अतिकमण कर किया है जो अतिकमी की परिभाषा में आता है। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में यह तथ्य उजागर किया कि विवादित आराजी को अपीलान्टस् व उसके पूर्वज सैकडों वर्षो से उपयोग कर रहे है असत्य एवं मनगढंत है। क्योंकि अपीलान्टस् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों में इस बात को स्वीकार किया है कि वन विभाग की कोई जमीन नहीं जोती (अतिकमकण नहीं किया) है। अगर उनके पास भूलवश वन विभाग की वन भूमि पर कब्जा या अतिकमण है तो उसको वह छोडने को तैयार है साथ ही यह भी कथन किया कि यदि दिनांक 2.11.2017 के पश्चात् कोई अतिकमण करते है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो दण्ड या सजा की जावेगी उसको भुगता जावेगा। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अपीलान्टस् को उक्त आराजी पर अपना मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा के समक्ष आवेदन कर पट्टा विलेख प्राप्त करना चाहिए किन्तु अपीलान्टस् ने ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि उनके द्वारा मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा के समक्ष आवेदन कर पट्टा विलेख प्राप्त कर लिया है। अपीलान्टस् ने अपनी अपील में यह तथ्य अकिंत किये हैं कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों को हासिल करने के लिए अपीलान्टस् अधिनियम के मुताविक पृथक से कार्यवाही कर रहे हैं। इस तथ्य की पुष्टि में अपीलान्टस् ने ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सावित हो सके कि पृथक से कार्यवाही की जा रही है। इस न्यायालय द्वारा भी अपीलान्टस् को मालिकाना हक सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिये गया किन्तु

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)

अपीलान्टस् ने अपने बचाव में कोई कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस् खारिज किया जाना व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना उचित समझते है।

अत: अपील अपीलान्टस् खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.3.2018 यथावत रखा जाता है। है। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर